

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी
इमरत खां पुत्र नसीर खां जाति
मुसलमान देशवाली निवासी करकवाल
तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज0

बनाम

अप्रार्थीगण

पटवारी हल्का, पटवार क्षेत्र मौरेरा तहसील
मेड़ता जिला नागौर बगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 51 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तारीख जारी हुए
05.07.2022	वकील प्रार्थी ने तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या-4/2022 सरकार बनाम इमरत खां अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2022 के विरुद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 02.08.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
2 8 / 22	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नोटिस बाढ़ तामिम शांति है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भोरा से राजपरोवरा श्री मोमप्रबद्धा वृत्तिपं उप०। पत्रावली मूम मपीम के साथ दिनांक 16/8/22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
16.8.22	वकुलाम उप०। P.O लाटर प्रशासनिक कार्यों में अस्त है। पत्रावली दिनांक 30.8.22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
30.8.22	वकुलाम ने न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेने का निर्णय लिखा है। P.O लाटर प्रशासनिक कार्यों में अस्त है। पत्रावली दिनांक 31.8.22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
31.8.22	वकुलाम उप०। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 31.8.22 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
6/9/22	वकुलाम उप०। इत्हास स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल पत्रावली अपील का फैसला हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई अस्तित्व नहीं रह जाने से प्रार्थी द्वारा उद्धृत यह प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार कि या जाता है। पत्रावली फैसल मुकाम होकर नम्बर से कम हो। कलक्टर, नागौर	